राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 20 अगस्त, 2009 / 29 श्रावण, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–4, 17 अगस्त, 2009

संख्याः वि0स0–लैज–गवरनमैंट बिल / 1–30 / 2009.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 17 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव ।

2009 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत के उपभोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध करने हेतु विधि पुनः अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 है।

2. **परिभाषाएं.––**इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "परिषद्" से निरसित किए गए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 54) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "उपभोक्ता" से कोई व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है, जो ऊर्जा का उपयोग या उपभोग करता है और जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के प्रवर्ग भी हैं;

(ग) विद्युत के सम्बन्ध में "उपभोग" से किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा के.डब्लयू.एच. या के. वी. ए. एच. के रूप में अभिलिखित प्रति किलोवाट / के.वी.ए. विद्युत का उपभोग अभिप्रेत है;

(घ) "ऊर्जा" से विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है;

(ङ) "निरीक्षण अधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "मीटर" से एकीकृत करने वाले उपकरणों का सैट अभिप्रेत है, जिसे प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा या प्रदाय में अन्तर्विष्ट विद्युत ऊर्जा की मात्रा (परिमाण) को, दिए गए समय में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसके अन्तर्गत होल करन्ट मीटर और मीटरिंग उपकरण जैसे कि आवश्यक वायरिंग और उपसाधनों सहित करन्ट ट्रांसफार्मर, केपैसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेनशियल या वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी है;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(झ) "राज्य सरकार" या "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ञ) विद्युत के सम्बन्ध में "प्रदाय" से अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता को विद्युत का विक्रय अभिप्रेत है; और

(त) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 या भारतीय विद्युत नियम,1956 में उनके हैं।

3. ऊर्जा के उपभोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण.––(1) किसी भी स्त्रोत से उत्पादित ऊर्जा, जिसका परिषद्, किसी अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापारी या विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा उपभोग किया गया है या जिसका परिषद्, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी या कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को प्रदाय किया गया है, पर विद्युत शुल्क के नाम से शुल्क, निम्नलिखित रीति में उद्गृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगाः–

(i)	घरेलू उपभोक्ताओं से	––	तीन प्रतिशत की दर से,
(ii)	गैर–घरेलू गैर–वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से	––	तीन प्रतिशत की दर से,
(iii)	कृषि / सिंचाई या सहबद्ध क्रियाकलाप प्रदाय के उपभोक्ताओं से	––	दस प्रतिशत की दर से,
(iv)	वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से	––	आठ प्रतिशत की दर से,
(v)	औद्योगिक उपभोक्ता,–		
	(क) लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं से	––	नौ प्रतिशत की दर से,
	(ख) मध्यम दर्जे के और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं से	––	तेरह प्रतिशत की दर से,
(vi)	वाटर पम्पिंग सप्लाई उपभोक्ताओं से	––	दस प्रतिशत की दर से,
(vii)	बल्क सप्लाई उपभोक्ताओं से	––	दस प्रतिशत की दर से,
(viii)	स्ट्रीट लाईटिंग सप्लाई उपभोक्ताओं से	––	दस प्रतिशत की दर से,
(ix)	टम्परेरी मीटरड सप्लाई उपभोक्ताओं से	––	चार प्रतिशत की दर से,
(x)	उपरोक्त खण्ड (i) से (ix) के अन्तर्गत न आने वाले उपभोक्ताओं के अन्य प्रवर्गों से	––	दस प्रतिशत की दर से, और
(xi)	डीजल जनरेटिंग सैटों द्वारा, (या किसी भी प्रकार की अन्य रीति द्वारा), ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण में प्रयोग हेतु या अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता के अपने उपभोग के लिए केपटिव / स्टैंडबाई हेतु, उत्पादित विद्युत ऊर्जा की दशा में, प्रति यूनिट विद्युत शुल्क।	––	तीस पैसे की दर सेः

परन्तु प्रत्येक प्रवर्ग के सामने वर्णित प्रतिशत्ता, केवल ऊर्जा प्रभारों (मीटर किराया, सेवा प्रभारों आदि को अपवर्जित करके) पर लागू होगी।

(2) धारा 3 की कोई भी बात, विद्युत के उपभोग या विक्रय के लिए लागू नहीं होगी जो,–

(क) भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त हो या भारत सरकार या भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों के भीतर अन्य सरकार (सरकारों) को, उस सरकार द्वारा या ऊर्जा सेक्टर में लगी हुई अन्य उपयोगिताओं द्वारा उपभोग हेतु या विक्रय हेतु, विक्रीत की गई हो; या

(ख) भारत सरकार द्वारा किसी रेल के सन्निर्माण, रख–रखाव या चलाने (संचालन) में या उस रेल को चलाने (संचालन करने) वाली रेल कम्पनी द्वारा उपभुक्त हो या उस सरकार या ऐसी किसी रेल कम्पनी को किसी रेल के सन्निर्माण, रख–रखाव या चलाने (संचालन) हेतु उपभोग करने के लिए विक्रय की गई हो; या

(ग) किसी अनुज्ञप्तिधारी या ऊर्जा का उत्पादन करने वाले उपभोक्ता द्वारा, उसके अपने उपभोग के लिए उपभुक्त हो; परन्तु जनरेटर की क्षमता दस किलोवाट से अधिक न हो।

(3) विद्युत शुल्क की संगणना के प्रयोजन के लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, मीटर द्वारा दर्शाई गई खपत, मीटर की प्रथम रीडिंग की तारीख के पश्चात् आरम्भ करते हुए गणना में ली जाएगी।

4. विद्युत शुल्क का संग्रहण और संदाय.––(1) राज्य सरकार का विद्युत शुल्क पर प्रथम प्रभार होगा और न तो परिषद् और न ही कोई अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इस शुल्क का उपयोग किसी भी रकम, जो राज्य सरकार द्वारा परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी / या किसी अन्य अभिकरण को देय हो, की प्रतिपूर्ति स्वयं को करने के लिए करेगा।

(2) परिषद् या विद्युत का उपभोग करने वाले या उपभोग के लिए इसका प्रदाय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी खपत या प्रदाय के क्षेत्र के समस्त उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क का संदाय या संग्रहण, ऐसे प्ररूप में करे और राज्य सरकार को उसका संदाय तिमाही पर या ऐसी रीति में करे, जैसी विहित की जाए।

(3) अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा जनरेटिंग सैटों, चाहे किसी भी रीति (ढंग) से, के माध्यम से, अपने उपभोग के लिए विद्युत ऊर्जा के आबद्ध (केपटिव) या तैयार (स्टैंडबाई) उत्पादन की दशा में विद्युत शुल्क, यदि कोई हो, सम्बद्ध उपभोक्ता द्वारा तिमाही पर, राज्य सरकार के पास विद्युत निरीक्षणालय के माध्यम से, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, सीधे जमा किया जाएगा।

5. अभिलेख और विवरणियां.––(1) यदि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश दे, तो विद्युत का प्रदाय, क्रय, उत्पादन या पारेषण करने वाली परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या कोई व्यक्ति, ऐसा अभिलेख, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रखेगा, जैसी विहित की जाए, जिसमें निम्नलिखित दर्शित हो–

(क) अपने उपभोग के लिए अथवा किसी उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय के लिए उत्पादित, पारेषित या प्राप्त विद्युत के यूनिट;

(ख) किसी उपभोक्ता को प्रदाय किए गए या उसके द्वारा उपभुक्त विद्युत के यूनिट;

(ग) उस पर देय विद्युत शुल्क की रकम और इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा संदत्त या वसूल किया गया विद्युत शुल्क; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

(2) विद्युत का उत्पादन या क्रय करने वाली परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी या कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन ऐसा अभिलेख रखने के लिए निदेश दिया गया है, ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में ऐसे प्राधिकारी (अॅथारिटी) को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए ऊर्जा की मात्रा, मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा, ऐसी रीति में अभिनिश्चित की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

6. निरीक्षण अधिकारी.––(1) राज्य सरकार, धारा 5 के अधीन रखे गए अभिलेख और विवरणियों के निरीक्षण के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता के लिए किसी अन्य अधिकारी को, निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) निरीक्षण अधिकारी, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी विहित की जाएं।

7. कतिपय मामलों में शास्तिक शुल्क का दिया जाना.––(1) यदि निरीक्षण अधिकारी की राय में, यथास्थिति, परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता, शुल्क के संदाय की अपवंचना करता है या अपवंचन करने का प्रयास करता है या जानबूझकर लोप अथवा उपेक्षा करता है, चाहे मिथ्या अभिलेख रखकर या छलसाधन करके या मिथ्या विवरणियां प्रस्तुत करके या उपभुक्त ऊर्जा को छिपाकर या किसी अन्य साधन द्वारा, तो, यथास्थिति, परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यवसायी, उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क के अतिरिक्त शास्ति के रूप में विद्युत शुल्क की राशि के चार गुणा से अनधिक, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा, इस सम्बन्ध में आदेश पारित करके अवधारित की जाएः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी शास्ति, यथास्थिति, परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यवसायी, उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर होगी, जैसी विहित की जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपील में पारित कोई आदेश, विवाद के पक्षकारों पर अन्तिम और आबद्धकर होगा।

(4) इस धारा के अधीन किसी भी शास्ति के संदाय के लिए किया गया आदेश, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, संस्थित किए जा सकने वाले या अधिरोपित किए जाने वाले किसी अभियोजन और अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

8. शुल्क की वसूली.––(1) इस अधिनियम के अधीन देय कोई भी विद्युत शुल्क या धारा 7 के अधीन अधिरोपित शास्ति, जो चाहे किसी उपभोक्ता द्वारा परिषद् को या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को, अथवा परिषद् या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राज्य सरकार को, असंदत्त रहती है, भू–राजस्व की बकाया के रूप में या राज्य सरकार द्वारा परिषद् या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे उपभोक्ता को संदेय रकमों में से कटौती द्वारा, वसूलीय होगी।

(2) जब किसी विद्युत शुल्क या शास्ति की रकम देय हो गई हो परन्तु संदत्त नहीं की गई हो, तो निरीक्षण अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन इस बाबत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, देय रकम की वसूली करने के लिए कलक्टर को आवेदन करेगा, मानो यह भू–राजस्व का बकाया हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन में निम्नलिखित विवरण होंगेः–

(i) व्यतिक्रमी का नाम और विवरण;

(ii) बकाया की रकम, जिसकी वसूली अपेक्षित है; और

(iii) परिस्थितियां, जिनके कारण आवेदन आवश्यक हुआ।

(4) आवेदन की प्राप्ति पर कलक्टर, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन रकम को भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की प्रक्रिया आरम्भ करेगा।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या किसी अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी की जंगम (चल) और स्थावर (अचल) सम्पत्ति, किसी भी न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में लिए जाने के लिए तब तक दायी नहीं होगी जब तक, यथास्थिति, परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा संदेय विद्युत शुल्क, राज्य सरकार को संदत्त न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण.––पद "कलक्टर" का वही अर्थ होगा जो हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 में उसका है।

9. शुल्क के असंदाय पर प्रदाय को काटने की शक्ति.––जहां उपभोक्ता उस विद्युत की बाबत, जिसका प्रदाय उसे किया गया है, उस द्वारा देय विद्युत शुल्क का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, परिषद् या विद्युत का प्रदाय करने वाला वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कम से कम पन्द्रह दिन का लिखित में नोटिस देने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति के विद्युत प्रदाय को तब तक के लिए काट सकेगा जब तक सम्पूर्ण विद्युत शुल्क संदत्त नहीं कर दिया जाता।

10. शास्तियां.––यदि कोई व्यक्ति–

(क) जिससे धारा 5 के अधीन अभिलेख रखने या विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, उन्हें विहित प्ररूप या रीति में रखने या प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है; या

(ख) किसी निरीक्षण अधिकारी को, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, उसकी शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यपालन में साशय बाधा पहुंचाता है; या

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसा जुर्माना, जैसा विहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, जो एक लाख रूपए से अधिक नहीं होगा, संदत्त करने के लिए दायी होगा।

11. विद्युत शुल्क के संदाय से छूट देने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार, लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता या व्यक्ति को, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्त के अध्यधीन, जैसी ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, संपूर्ण विद्युत शुल्क या उसके भाग के संदाय से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विद्युत शुल्क की दरों को, किसी एक समय में, धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के पचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

12. निरीक्षण अधिकारियों का लोक सेवक होना.––इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी के बारे में, जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में कोई कार्य

कर रहा है या उसका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक है।

13. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति.––इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, किसी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित नहीं की जाएंगी।

14. सरकार की पूर्व मंजूरी.––इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

15. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) धारा 3 और 4 के अधीन विद्युत शुल्क के संदाय तथा संग्रहण की रीति;

(ख) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख अनुरक्षित रखा जाएगा;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन विशिष्टियों का विहित किया जाना;

(घ) विवरणियां प्रस्तुत करने की रीति और प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसे धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इन्हें प्रस्तुत किया जाना है;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्त्तव्य;

(च) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसे अपील की जाएगी, अवधि जिसके भीतर अपील की जाएगी और ऐसी अपील को दाखिल करने के लिए फीस;

(छ) प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसके द्वारा धारा 10 के अधीन जुर्माना अवधारित किया जाना है ;और

(ज) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है या जिसे विहित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व, विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है या यह निर्णय लेती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.––(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगाः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

17. निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम,1975 (1975 का 11) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई बात या कार्रवाई, उद्गृहीत किया गया विद्युत शुल्क, बनाया गया नियम, जारी की गई अधिसूचना, किया गया निरीक्षण, किया गया आदेश या जारी किया गया नोटिस, जहां तक यह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बना रहेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम, उस तारीख जिसको ऐसी बात या ऐसी कार्रवाई की गई थी, प्रवृत्त था, जब तक इसे इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिक्रान्त नहीं कर दिया जाता और इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन देय विद्युत शुल्क और अन्य रकम संगृहीत की जा सकेगी मानो यह इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत हुई हो।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जब से हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम,1975 अधिनियमित हुआ है तब से सरकार के विभिन्न नीति निर्णयों में समय–समय पर कई परिवर्तन हुए हैं। बदलते परिवेश के साथ विद्यमान अधिनियम को और अधिक प्रभावी तथा व्यापक विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अनिवार्य हो गया है। इसलिए विद्यमान हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 को निरसित करने और हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2009 लाने का विनिश्चय किया गया है, जो भिन्न–भिन्न मापमानों (स्केलज) पर उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रवर्गों से विद्युत शुल्क उद्गृहीत करने और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा् संशोधित टैरिफ (शुल्क) के कार्यान्वयन का, प्रभावी तारीख से प्रतिशतता के आधार पर विद्युत शुल्क में पश्चात्वर्ती पुनरीक्षण (संशोधन) करने के लिए उपबन्ध कर सकेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शास्तिक उपबन्ध को और अधिक कठोर बनाया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः 2009

————————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रवर्गों द्वारा विद्युत के उपभोग पर, प्रतिशतता के आधार पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए है, जिससे राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग अटठाईस करोड़ की प्राप्ति होने की संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 15 राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या : एम.पी.पी.–ए (4)–11 / 2008)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2009 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) BILL, 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to re-enact the law to provide for the levy of Electricity Duty on consumption or supply of electricity in the State of Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of Republic of India as follows :-

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Himachal Pradesh State Electricity Board constituted under sub–section (1) of section 5 of the repealed Electricity (Supply) Act, 1948 (Act No. 54 of 1948);

(b) "consumer" means any person or establishment who uses or consumes energy and includes categories of consumers specified under section 3 of this Act ;

(c) “consumption” in relation to electricity means electrical consumption per Kilowatt/KVA recorded as KWh or KVAh. by a licensee or consumer;

(d) “energy” means electric energy;

(e) “Inspecting Officer” means a person appointed as such by the State Government under sub-section (1) of section 6;

(f) "meter" means a set of integrating instruments used to measure the amount of electrical energy supplied or the quantity of electrical energy contained in the supply, in a given time, which include whole current meter and metering equipment such as current transformer, capacitor voltage transformer or potential or voltage transformer with necessary wiring and accessories;

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(h) "section" means section of this Act;

(i) "State Government" or "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(j) "supply" in relation to electricity means the sale of electricity to a licensee or consumer; and

(k) the words and expressions used in this Act, but not defined shall have the meanings as assigned to them in the Electricity Act, 2003 or the Indian Electricity Rules, 1956.

3. Levy of electricity duty on consumption or supply of energy.—(1) There shall be levied and paid to the State Government on the energy, generated from any source, consumed by the Board, any licensee, electricity trader or generating company or supplied by the Board, such licensee, trader or company to the consumer, a duty to be called the electricity duty, in the following manner, namely:-

(i)	domestic consumers	- @ 3%,
(ii)	non domestic non commercial consumers	- @ 3%,
(iii)	agricultural/irrigation or allied activities supply consumers-	-@ 10%,
(iv)	commercial consumers	- @ 8%
(v)	industrial consumers,—	
	(a) small industrial consumers	- @ 9%,
	(b) medium and large industrial consumers	- @ 13%,
(vi)	water pumping supply consumers	- @ 10%,
(vii)	bulk supply consumers	- @ 10%,
(viii)	street lighting supply consumers	- @ 10%,
(ix)	temporary metered supply consumers	- @ 4%,
(x)	other category of consumers not covered under clauses (i) to (ix) above	- @ 10% and ,
(xi)	In case of electrical energy generated by diesel generating sets (or by what so ever mode) for use of construction of power projects or captive/ standby for own consumption by the licensee or consumer, electricity duty per unit	-@ 30 paise:

Provided that the percentage mentioned against each categories shall be applicable on energy charges only (excluding meter rent, service charges etc.).

(2) Nothing in section 3 shall apply to the consumption or sale of electricity which is—

(a) consumed by the Government of India, State Government or sold to the Government of India or other Government(s) within the territories of Indian Union for consumption or sale by that Government or other utilities engaged in power sector; or

(b) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway; or

(c) consumed by a licensee or by consumer generating energy for their own consumption; provided the capacity of generator does not exceed 10 KW.

(3) For the purpose of computing the electricity duty, the consumption shown by the meter, starting after the first meter reading date, after the issuance of the notification under sub-section (1) of section 3 shall be taken into account.

4. Collection and payment of electricity duty.—(1) The State Government shall have the first charge on the electricity duty and neither the Board nor any licensee shall, without the previous sanction of the State Government, utilize this duty to reimburse itself for any amount, which the State Government may owe to the Board or the licensee/ or any other agency.

(2) It shall be the duty of the Board or the licensee consuming or supplying electricity for consumption to pay or collect the electricity duty from all the consumers in its area of consumption or supply in such form and pay the same to the State Government quarterly or in such manner, as may be prescribed.

(3) In case of captive or standby generation of electrical energy for own consumption through generating sets, by whatsoever mode, by the licensee or consumer, electricity duty, if any, shall be deposited quarterly by the concerned consumer directly to the State Government through Electrical Inspectorate in such manner as may be prescribed.

5. Record and returns.—(1) If the State Government so directs, by a general or special order, the Board or a licensee or a person supplying, purchasing, generating or transmitting electricity, shall maintain such record, in such form and in such manner, as may be prescribed, showing -

(a) the units of electricity generated, transmitted or received for own consumption or for supply to any consumer or licensee;

(b) the units of electricity supplied to any consumer or consumed by it or him;

(c) the amount of electricity duty payable thereon and the electricity duty paid or recovered by him, under this Act; and

(d) such other particulars, as may be prescribed.

(2) The Board, the licensee or the person generating or purchasing electricity, directed by the State Government under sub- section (1) to maintain records, shall submit such returns in such form and in such manner and to such authority, as may be prescribed.

(3) For the purposes of clauses (a) and (b) of sub-section (1), the amount of energy shall, be ascertained by the Chief Electrical Inspector in such manner as may be prescribed.

6. Inspecting Officers.— (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint Chief Electrical Inspector and any other officer, to assist the Chief Electrical Inspector, to be the Inspecting Officer to inspect records and returns maintained under section 5.

(2) The Inspecting Officer shall perform such duties and exercise such powers, as may be prescribed, for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act and the rules made thereunder.

7. Penal duty to be paid in certain cases.—(1) If in the opinion of the Inspecting Officer, the Board or the licensee or the electricity trader or the generating company or the consumer, as the case may be, evades or attempts to evade or wilfully omits or neglects the payment of duty, whether by maintaining or manipulating false records or by submitting false returns or by concealing the energy consumed or by any other means, the Board, the licensee, the electricity trader, the generating company or the consumer, as the case may be, shall pay by way of penalty, in addition to the duty payable under this Act, a sum not exceeding four times the amount of the electricity duty, as may be determined by the Inspecting Officer, by passing an order in this regard:

Provided that no penalty under this sub-section shall be imposed without affording a reasonable opportunity of being heard to the Board, the licensee, the electricity trader, the generating company or the consumer, as the case may be.

(2) An appeal shall lie against an order passed under sub-section (1) to such authority within such period and on payment of such fee, as may be prescribed.

(3) An order passed on appeal under sub-section(2), shall be final and binding on the parties to the dispute.

(4) An order for the payment of any penalty, made under this section, shall be without prejudice to any prosecution and other penalty which may be instituted or imposed, as the case may be, under this Act.

8. Recovery of duty.—(1) Any electricity duty due under this Act, or penalty imposed under section 7, which remains unpaid, whether by a consumer to the Board or to the distributing licensee, or by the Board or the distributing licensee to the State Government, shall be recoverable as an arrears of land revenue or by deduction from the amounts payable by the State Government to the Board or the distributing licensee or such consumer.

(2) When any sum of electricity duty or penalty has fallen due, but has not been paid, the Inspecting Officer may, subject to the provisions of the rules made in this behalf under this Act, make an application to the Collector to recover the sum due as if it were an arrears of land revenue.

(3) An application made under sub-section (2), shall state—

(i) the name and description of the defaulter,
(ii) the amount of arrear of which recovery is required; and
(iii) the circumstances, which have made the application necessary.

(4) On receipt of the application, the Collector shall proceed to recover the amount as arrears of land revenue under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

(5) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the moveable and immoveable property of the Board or any licensee, or electricity trader or a generating company shall not be liable to be taken in execution of a decree or order of any court, until the electricity duty payable by the Board or the licensee or the electricity trader or the generating company, as the case may be, to the State Government has been paid.

Explanation.—The expression "Collector" shall have the same meaning as assigned to it under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

9. Power to disconnect supply for non payment of duty.—Where the consumer fails to pay the electricity duty due from him in respect of the electricity supplied, the Board or the distribution licensee supplying electricity, as the case may be, may, after giving not less than fifteen days notice in writing, cut off the electricity supply to such person, until the entire electricity duty is paid.

10. Penalties.—If any person-

(a) required under section 5 to maintain records or to submit returns, fails to keep or submit the same in the prescribed form or manner or submit a return which is false, or

(b) intentionally obstructs an Inspecting Officer in the exercise of his powers and discharge of his duties under this Act and the rules made thereunder, or

(c) contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, shall be liable to pay fine, not exceeding one lac rupees, as may be determined by the prescribed authority.

11. Power to exempt from payment of electricity duty.—(1) The State Government may, in public interest, by notification in the Official Gazette, exempt any licensee, consumer or person from the payment of the whole or part of the electricity duty for such period and subject to such conditions as may be specified in such notification.

(2) The State Government may, by notification, revise the rates of electricity duty not exceeding 50% at any one time, of the rates specified under section 3.

12. Inspecting Officers to be public servants.— Every Inspecting Officer, appointed under section 6 of this Act, shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servant within the meaning of section 21 of Indian Penal Code, 1860.

13. Indemnity to persons acting under this Act.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

14. Previous santion of the Government.—No prosecution for any offence, punishable under this Act shall be instituted, except with the previous sanction of the State Government.

15. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the manner of payment and collection of electricity duty under sections 3 and 4;

(b) the form and manner in which record shall be maintained under sub-section (1) of section 5;

(c) prescription of particulars under clause (d) of sub-section (1) of section 5;

(d) the manner of submitting the returns and the authority to whom these are to be submitted under sub-section (2) of section 5;

(e) the powers and duties to be exercised and performed by the Inspecting Officers under sub-section (2) of section 6;

(f) the authority to whom appeal shall lie, the period within which appeal shall lie and the fee for filing such appeal under sub-section (2) of section 7;

(g) the authority by whom the fine is to be determined under section 10; and

(h) any other matter required to be prescribed or which may be prescribed by or under this Act.

(3) Every rule made under this section, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or two or more successive session, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions as aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

16. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section, shall be laid, as soon as after it is made, before the State Legislative Assembly:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

17. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 1975 (11 of 1975) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or purported to have been done or taken, any electricity duty levied, any rule, notification, inspection, order or notice made or issued, shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and be deemed to have been done or taken or made in exercise of the powers conferred by or under the provisions of this Act as if this Act was in force on the date on which such thing was done or such action was taken unless and until it is superseded by or under this Act and the electricity duty and other amount due under the Act, so repealed, may be collected as if they have accrued under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Ever since enactment of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 1975, the various policy decisions of the Government have undergone changes from time to time. In order to keep pace with the changing scenario, it has become necessary to replace the existing Act by the more effective and comprehensive Legislation. Thus, it has been decided to repeal the existing Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 1975 and to bring the Himachal Pradesh Electricity Duty Bill, 2009, which may provide for levy of Electricity Duty to different categories of consumers on different scales and subsequent revision in Electricity Duty on percentage basis from the effective date of implementation of the revised tariff by the Himachal Pradesh State Electricity Board. Further, in order to make the Act more effective, the penal provision has been made more stringent.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
CHIEF MINISTER.

Shimla :

The , 2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 3 of the Bill, seeks to levy electricity duty on consumption of electricity by the various categories of consumers on percentage basis which is likely to yield approximately Rs. 28 Crore per annum to the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 15 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying into the effect the provisions of this Act. This delegation of powers is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

(File No. MPP-A(4)-11/2008)

The Governor, Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Electricity (Duty) Bill, 2009, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–4, 13 अगस्त, 2009

संख्या वि0 स0–लैज–गवरनमैंट बिल / 1–28 / 2009.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक–13) जो आज दिनांक 13 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव।

2009 का विधेयक संख्यांक 13

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राज्य में उच्चत्तर शिक्षा के लिए मानव भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन करने और उसके क्रियाकलापों को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 है ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.––इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "प्रबन्ध बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "परिसर (कैम्पस)" से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) "दूरवर्ती शिक्षा" से संचार, अर्थात् प्रसारण, टेलीकॉस्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्ही भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है;

(ङ) "फीस" से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है ;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "शासी निकाय" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "उच्चतर शिक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय, या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यताप्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "परिसर (कैम्पस) बाह्य केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय औषधीय परिषद्, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) "प्रायोजक निकाय" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत मानव भारती पूर्त न्यास सोलन, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(फ) "विश्वविद्यालय" से मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ।

3. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.––विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,–

(क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चत्तर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चत्तर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत् शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थावित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है; और

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर (कैम्पस) बाह्य केन्द्र स्थापित करना ।

4. निगमन.––(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय लाडो, डाकघर सुल्तानपुर, तहसील और जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(i) दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित, विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा प्रसार शिक्षा के लिए उपबंध करना;

(ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;

(iii) निवेश–बाह्य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;

(iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यधीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे और प्रमाण–पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण–पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना या

(v) मानद् उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करना;

(vi) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(viii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;

(ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;

(xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय–समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में

आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ ऍक्सीलैंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समरूप उद्देश्यों और प्रयोजनों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सहकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;

(xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हो, कोई करार करना;

(xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xix) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना और हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

(xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;

(xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ–साथ ड्यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण–पत्रों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों, अनुशासनों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और विद्या केन्द्र स्थापित करना; और

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

6. विश्वविद्यालय का स्व–वित्तपोषित होना.––विश्वविद्यालय स्व–वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से, कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना.––विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8. विन्यास निधि.––(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए तीन करोड़ रूपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा ।

(3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा ।

(5) विन्यास निधि की रकम, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी ।

9. साधारण निधि.––विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी–सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

10. साधारण निधि का उपयोजन.––साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किसी भविष्य निधि अभिदाय, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उदग्रहणों, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा–परीक्षा के खर्च के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

(ञ) जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और

(ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित हो:

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाए, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि उप–खण्ड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी ।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.––विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) रजिस्ट्रार;

(iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और

(v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12. कुलाधिपति.––(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का मुखिया (हैड) होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;

(ख) कुलपति को नियुक्त करना;

(ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

13. कुलपति.––(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्, वह व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात् भी नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा; तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि सम्बद्ध अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

14. रजिस्ट्रार.––(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार / संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य–सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.––(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी.––(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

17. विश्वविद्यालय का प्राधिकरण.––विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :–

(i) शासी निकाय;

(ii) प्रबन्ध बोर्ड;

(iii) विद्या परिषद्; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

18. शासी निकाय.––(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात् :–

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और

(च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य।

(2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा–उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

19. प्रबन्ध बोर्ड.––(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) कुलपति;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं; और

(घ) अध्यापकों में से, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन व्यक्ति।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20. विद्या परिषद्.––(1) विद्या परिषद् में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य होगें, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) कुलपति विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

21. अन्य प्राधिकरण.––विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22. निरर्हताएं.––कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,–

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23. रिक्तयों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.––विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही,उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.––यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नाम निर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता।

25. समितियां.––(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अधिकारी ऐसे निर्देश के निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

26. प्रथम परिनियम.––(1) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का गठन, शक्तियॉ और कृत्य, जो समय–समय पर गठित किए जाएं;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया;

(छ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ज) छात्रों को शिक्षा फीस (टयूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृतियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;

(झ) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध;

(ञ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध ।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27. पश्चात्वर्ती परिनियम.––(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) समस्त अन्य विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय–समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में, संशोधन या निरसन कर सकेगाः

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और अनुदेशों के मानदण्डों, शिक्षा और परीक्षा को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद् से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

28. प्रथम अध्यादेश.––(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमो और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाण पत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृतिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमो के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध ;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और

(ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

(2) प्रबंध बोर्ड या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

29. पश्चात्वर्ती अध्यादेश.––(1) प्रथम अध्यादेशों से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) विद्या परिषद्, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हों, अध्यादेशों को वापिस भेजेगी और प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा–अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30. विनियम.––विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

31. प्रवेश.––(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्यचर्या के साथ पाठ्येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित छात्रों और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी ।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखीं जाएंगी ।

32. फीस संरचना.––(1) विश्वविद्यालय समय–समय पर अपनी फीस संरचना तैयार और पुनरीक्षित करेगा तथा इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगी :

परन्तु यदि सरकार एक मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) नहीं करती है, तो इसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को ज़ारी करने से पूर्व, विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रास्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी कि क्या प्रस्तावित फीस,–

(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात्–

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् यदि सरकार का समाधान हो जाता है , तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

33. परीक्षाएं.––प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा में प्रत्येक कलैडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात् (अपश्चात्), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा ।

स्पष्टीकरण.– परीक्षाओं की अनुसूची से, प्रत्येक प्रश्न–पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगाः

परन्तु यह कि किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य–शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे ।

34. परिणामों की घोषणा.––(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है ।

35. दीक्षांत समारोह.––विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा ।

36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.––विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय तत्पश्चात्, प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा ।

37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.––इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38. वार्षिक रिपोर्ट.––(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.––(1) विश्वविद्यालय के तुलन पत्र सहित, वार्षिक लेखे प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उदभूत सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी ।

40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.––(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, कुलपति से परामर्श के पश्चात् ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगी ।

(2) सरकार, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिश का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.––(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा ।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पंद्रह वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां.––(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या उसके द्वारा दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को सभी शक्तियां होंगी और वह इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड के सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा ऐसी तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे।

43. नियम बनाने की शक्ति.—(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और

(ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिएं, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि

ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उनके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.––(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राज्य और देश की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती है । विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को, आधुनिक और परिष्कृत सुविधाओं सहित, खोलना अनिवार्य है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ–साथ राज्य में, नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों / संस्थाओं आदि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है ।

देश में अन्य राज्यों की तरह सोसाईटियां / प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव (निवेदन) कर रही हैं । बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है । राज्य सरकार को ऐसे पक्षकारों से, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । मानव भारती पूर्त न्यास, गांव लाडो, डाकघर सुल्तानपुर, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, से भी प्राइवेट विश्वविद्यालय नामतः "मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश" स्थापित करने बारे प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और विस्तृत परीक्षण करने के पश्चात् सरकार द्वारा 13 फरवरी, 2009 को "आशय पत्र" जारी कर दिया गया ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्तरमानों का बनाए रखना) विनियम, 2003 के उपबन्धों के दृष्टिगत प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय राज्य द्वारा अलग से बनाए गए अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुरूप होगा । प्राइवेट विश्वविद्यालय न केवल ऐकिक विश्वविद्यालय होना चाहिए बल्कि उसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षण और विस्तारी कियाक्लापों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी हों । अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की अपेक्षाओं और मानदण्डों को पूरा करने के आशय से विधान लाने का विनिश्चय किया गया है जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए मानव भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन का उपबन्ध करेगा ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

ईश्वर दास धीमान,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला
तारीख.....2009

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राज्य में मानव भारती विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर में करने का उपबंध करता है । इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष पर कोई वित्तीय व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 43 और 26 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु क्रमशः नियम बनाने और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 27 और 28 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय के क्रमशः पश्चात्वर्ती परिनियम और प्रथम अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 13 of 2009

THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) BILL, 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for establishment, incorporation and regulation of Manav Bharti University in the State for higher education and to regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Difinitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;

(b) "campus" means the area of University within which it is established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centres, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "off campus centre" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act;

(p) "sponsoring body" means the Manav Bharti Charitable Trust, Solan, Himachal Pradesh, registered under the Indian Trust Act, 1882;

(q) "State" means State of Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University; and

(v) "University" means Manav Bharti University, Solan, Himachal Pradesh.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,—

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method; while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by regulating bodies; and

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of Manav Bharti University, Laddo Sahib (Sultanpur), Distt. Solan, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall situate and have its head quarter at Laddo, Post Office, Sultanpur, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely:—

(i) to provide for instructions including the method of distant education in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;

(ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;

(iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;

(iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(v) to confer honorary degrees or other academic distinctions;

(vi) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;

(vii) to institute and award Fellowships, Studentships and Prizes;

(viii) to establish and maintain Hostel including Halls; recognise guide, supervise and control Hostels including Halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition;

(ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and of the Colleges;

(xi) to determine the criterion for admission into the University or its Colleges;

(xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

(xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;

(xv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;

(xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;

(xvii) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;

(xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xix) to receive donations and grants and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within and outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;

(xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission into the University;

(xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

(xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;

(xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centers, off-shore campus, study centres as per the instructions issued by the State Government, Central Government and University Grants Commission from time to time; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of three crores rupees which shall be pledged to the Government.

(2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilised for the development of infrastructure of the University but shall not be utilised to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;

(d) bequests, donations, endowments and any other grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

(a) for the payment of salaries and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;

(g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:—

(i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Registrar;

(iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and

(v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) the Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

(a) to call for any information or record;
(b) to appoint the Vice-Chancellor;
(c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and
(d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years a person shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity, thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If, in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of its decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Vice Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:—

(i) the Governing Body;
(ii) the Board of Management;
(iii) the Academic Council; and
(iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) five persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and

(f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:—

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible, in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;

(b) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;

(c) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body; and

(d) three persons from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice-Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,—

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority of body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;

(e) the terms and conditions of service of employees of the University;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;

(g) the conferment of honorary degrees;

(h) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(i) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(j) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(k) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department;

(e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of

the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided for by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval and the Government shall convey the approval within one month from the receipt of the proposal:

Provided that if the approval of the Government is not conveyed within one month, it shall be deemed to have been approved by the Government:

Provided further that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,—

(a) sufficient for generating—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and
(ii) the savings required for the further development of the University; and

(b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester-

wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule :

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Government giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.—Schedule of Examination means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason, whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Government. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

(5) The advice of the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Government.

40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government may, after consultation with the Vice-Chancellor, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before fifteen years of its establishment all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis-management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the

University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravention of all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravention of directions issued by it under this Act or it has ceased to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and

(d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub-section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section(8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body from such date.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and

(b) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rules should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in the all round development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention towards education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to open more educational institutions with modern and sophisticated facilities. With each passing day, the need for opening new Colleges, Universities, Professional Colleges/Institutions etc. is gaining momentum in the State.

Like other States in the county, Societies in the private sectors have been approaching the Government for establishing Universities. Many State Governments have allowed the setting up of private Universities. The State Government has been receiving many applications from such parties to establish private Universities in the State. Manav Bharti Charitable Trust, Village Laddo, Post Office Sultanpur, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh, registered under the Indian Trust Act, 1882 had also submitted a proposal to establish a private University namely, "Manav Bharti University, Solan, Himachal Pradesh" and after detailed examination the Government had issued "Letter of Intent" on 13th February, 2009.

In the light of the provisions of University Grants Commission (Establishment and Maintenance of Standards of Private Universities) Regulations, 2003, each private University must be established by a separate State Act and shall conform to the provisions of University Grants

Commission Act, 1956. Not only that, a private University must be a unitary University having adequate facilities for teaching, research, examination and extension activities. Thus, in order to fulfil the requirement of University Grants Commission Act, 1956 and the norms, it has been decided to bring a legislation which may provide for establishment, incorporation and regulation of the Manav Bharti University in the State for higher education.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN,
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The.....2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

This Bill seeks to provide for the establishment of Manav Bharti University in the State solely in the private sector. The provisions of this Bill, if enacted, shall not involve any financial expenditure on the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 43 and 26 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act and to make first statutes of the University respectively. Further clauses 27 and 28 of the Bill seek to empower Board of Management of the University to make subsequent statutes and first ordinances of the University, respectively. The proposed delegations of powers are essential and normal in character.

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–4, 13 अगस्त, 2009

संख्याः वि0स0–लैज–गवरनमैंट बिल / 1–29 / 2009.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 13 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव ।

2009 का विधेयक संख्यांक 14

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए अरनी विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन करने और उसके क्रियाकलापों को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.––इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) "प्रबन्ध बोर्ड" से धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "परिसर (कैम्पस)" से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) "दूरवर्ती शिक्षा" से संचार, अर्थात् प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीं दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है;

(ङ) "फीस" से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "शासी निकाय" से धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "उच्चतर शिक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यताप्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "परिसर (कैम्पस) बाह्य केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय औषधीय परिषद्, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

(ण) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) "प्रायोजक निकाय" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत के0डी0 एजुकेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली अभिप्रेत है;

(थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;

(प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(फ) "विश्वविद्यालय" से काठगढ़ (इंदौरा) जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित अरनी विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

3. **विश्वविद्यालय के उद्देश्य.**––विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,––

(क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चतर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चतर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;

(ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थावित करना;

(घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत, अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;

(ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

(च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है; और

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यधीन परिसर (कैम्पस) बाह्य केन्द्र स्थापित करना।

4. **निगमन.**––(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर काठगढ़ (इंदौरा), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित अरनी विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय काठगढ़ (इन्दौरा), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा।

5. **विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.**––विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:––

(i) ऑन लाइन शिक्षा पद्धति सहित, पारम्परिक तथा नई पद्धतियों के साथ–साथ पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान की बाबत उपबन्ध करना तथा समस्त उपायों (पाठ्यक्रम को अंगीकृत तथा अद्यतन करने सहित) को अंगीकृत करना;

(ii) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाण पत्र, अवार्ड, ग्रेड, श्रेय (क्रेडिट्स) और विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना और प्रदान करना;

(iii) परीक्षाएं संचालित करवाना और लेना;

(iv) अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों के समतुल्य या तत्सम उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण–पत्रों के लिए व्यवस्था करना;

(v) कैम्पस स्थापित करने के लिए सम्पूर्ण आवश्यक उपाय करना;

(vi) केन्द्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालय, संग्रहालय और सहबद्ध विषय (अलाइड मैटर्ज) स्थापित करना;

(vii) मानद् उपाधियां संस्थित करना और प्रदान करना;

(viii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए, संस्थित करना और प्रदान करना;

(ix) समाज के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग (स्ट्रेटा) में, शैक्षणिक प्रसुविधाओं का प्रसार करने के लिए विशेष उपाय करना;

(x) खेल–कूद और मार्शल आर्ट को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना;

(xi) तकनीकी, प्रशासनिक, अनुसचिवीय (लिपिकीय) और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xii) कृषि, उद्योग और व्यवसाय की बाबत, पारस्परिक स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अनुसंधान परियोजनाएं लेना;

(xiii) परामर्श सेवाएं प्रदान करना;

(xiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(xv) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना;

(xvi) देश के भीतर और बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ–साथ दोहरी उपाधियों (ड्यूल डिग्रीज), डिप्लोमों या प्रमाण–पत्रों के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सन्नियमों और अनुदेशों के अध्यधीन उपबन्ध करना;

(xvii) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न अनुशासनों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xviii) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अध्यधीन महाविद्यालय, संस्थाएं, परिसर (कैम्पस) बाह्य केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और आंचलिक तथा क्षेत्रीय केन्द्र, विद्या केन्द्र (चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं) स्थापित करना;

(xix) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी जंगम (चल) या स्थावर (अचल) सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध करना और उसका व्ययन करना तथा निधियों को ऐसी रीति में जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे, विनिहित (निवेश) करना;

(xx) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए समय–समय पर फीस संरचना विहित करना;

(xxi) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;

(xxii) अन्य संस्थाओं से पारस्परिक रूप में स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर सहयोग (कलैबोरेशन) करना;

(xxiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य विनियामक निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय (आनरेरिया) अवधारित करना;

(xxiv) निवेश बाह्य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;

(xxv) हाल और छात्रावास स्थापित और अनुरक्षित करना;

(xxvi) हाल तथा छात्रावास, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों, को तथा छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को, मान्यता देना, उसका पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण रखना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;

(xxvii) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसे प्रवर्तित कराना और ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(xxviii) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संवर्धन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्थाएं करना;

(xxix) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के समरूप प्रयोजनों और उद्देश्यों वाले देश के भीतर या बाहर के किसी अन्य विश्वविद्यालय के साथ ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो करार पाए जाएं, सहकार करना; और

(xxx) विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ऐसे आनुषंगिक या सहायक समस्त कार्य करना, जो आवश्यक हों।

6. विश्वविद्यालय का स्व–वित्तपोषित होना.––विश्वविद्यालय स्व–वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से, कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना.––विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8. विन्यास निधि.––(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए तीन करोड़ रुपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा।

(3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को, विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा।

(5) विन्यास निधि की रकम, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अध्यधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिहित रखी जाएगी।

9. साधारण निधि.––विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात् :––

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी–सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां।

10. साधारण निधि का उपयोजन.––साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्:––

(क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किसी भविष्य निधि अभिदाय, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;

(ग) करों या स्थानीय उद्ग्रहणों, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;

(च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखापरीक्षा के खर्च के संदाय के लिए;

(झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;

(ञ) जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और

(ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित हो:

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उप–खण्ड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.––विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:––

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) रजिस्ट्रार;

(iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और

(v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

12. कुलाधिपति.––(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का मुखिया (हैड) होगा।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :––

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;

(ख) कुलपति को नियुक्त करना;

(ग) धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

13. कुलपति.––(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा, संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्, वह तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि कुलपति, अपनी अवधि के अवसान के पश्चात् भी नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा; तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता :

परन्तु यदि सम्बद्ध अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है

या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से, विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(6) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) यदि, किसी भी समय, किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

14. रजिस्ट्रार.––(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार / संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य–सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.––(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी.––(1) विश्वविद्यालय, ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.––विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :––

(i) शासी निकाय;

(ii) प्रबन्ध बोर्ड;

(iii) विद्या परिषद्; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

18. शासी निकाय.––(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात् :––

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और

(च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य।

(2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:––

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा–उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में, कम से कम तीन बार बैठक करेगा।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।

19. प्रबन्ध बोर्ड.––(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:––

(क) कुलपति;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं; और

(घ) अध्यापकों में से, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन व्यक्ति।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।

20. विद्या परिषद्.——(1) विद्या परिषद्, में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य होगें जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) कुलपति विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा।

(3) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी।

(4) विद्या परिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

21. अन्य प्राधिकरण.——विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

22. निरर्हताएं.——कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,——

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचारण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है।

23. रिक्तयों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.——विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही,उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.——यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नाम निर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता।

25. समितियां.——(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अधिकारी ऐसे निर्देश के निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

26. प्रथम परिनियम.–– (1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:––

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों, जो समय–समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियां और कृत्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;

(ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया;

(छ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ज) छात्रों को शिक्षा फीस (ट्यूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबंध;

(झ) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध;

(ञ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध।

(2) प्रथम परिनियम सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

27. पश्चात्वर्ती परिनियम.––(1)इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:––

(क) विश्वविद्यालयों के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय–समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में, संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परन्तु प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और अनुदेशों के मानदण्डों, शिक्षा और परीक्षा को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद् से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे।

28. प्रथम अध्यादेश.––(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड शासी निकाय के अनुमोदन से ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :––

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण–पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियाँ, डिप्लोमें, प्रमाण पत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृतिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्त्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध;

(झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और

(ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

29. पश्चात्वर्ती अध्यादेश.––(1) प्रथम अध्यादेशों से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) विद्या परिषद्, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हों, अध्यादेशों को वापिस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेंगे और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे।

30. विनियम.––विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे।

31. प्रवेश.––(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्यचर्या के साथ पाठयेत्तर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित छात्रों और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

32. फीस संरचना.––(1) विश्वविद्यालय, समय–समय पर अपनी फीस संरचना तैयार और पुनरीक्षित करेगा तथा इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगीः

परन्तु यदि सरकार एक मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) नहीं करती है तो इसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रास्पेक्टस ज़ारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रास्पेक्टस में दर्शित किया जाएगाः

परन्तु यह और भी कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि प्रस्तावित फीस,––

(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात्:––

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए; और
(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए,

स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी।

33. परीक्षाएं.––प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात् (अपश्चात्), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठयक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य–शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

स्पष्टीकरण.––परीक्षाओं की अनुसूची से, प्रत्येक प्रश्न–पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा।

34. परिणामों की घोषणा.––(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है।

35. दीक्षांत समारोह.––विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा।

36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.––विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (एन.ए.ए.सी), बंगलौर से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय तत्पश्चात्, प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा।

37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.––इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों।

38. वार्षिक रिपोर्ट.––(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी।

39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.––(1) विश्वविद्यालय के तुलन पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी।

40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.––(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से संबधित किसी अन्य विषय के स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, कुलपति से परामर्श के पश्चात् ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगी।

(2) सरकार, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिश का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.––(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को, इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठयक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पंद्रह वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की समस्त विल्लंगमों से रहित, सभी परिसम्पत्तियां सरकार में निहित हो जाएंगी।

42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां.––(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या इस प्रकार यथा निरसित हिमाचल प्रदेश प्राईवेट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2006 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्ही उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का या इस प्रकार यथा निरसित हिमाचल प्रदेश प्राईवेट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2006 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए परिवचनों का पालन न करने का, या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:––

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या इस प्रकार यथा निरसित हिमाचल प्रदेश प्राईवेट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2006 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह, विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को सभी शक्तियां होंगी और वह इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड के सभी कर्त्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा, जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं।

(8) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा ऐसी तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे।

43. नियम बनाने की शक्ति.––(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:––

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और

(ख) अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिएं, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उनके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.––(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हैं तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के चहुँमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राज्य और देश की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं । विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को, आधुनिक और परिष्कृत सुविधाओं सहित खोलना अनिवार्य है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ–साथ राज्य में, नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों / संस्थाओं आदि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है।

देश में अन्य राज्यों की तरह सोसाईटियां, प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव (निवेदन) कर रही हैं । बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है । राज्य सरकार को ऐसे पक्षकारों से, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । के0 डी0 एजूकेशनल न्यास, नई दिल्ली, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, से भी प्राइवेट विश्वविद्यालय नामतः "अरनी विश्वविद्यालय काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश" स्थापित करने बारे प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और विस्तृत परीक्षण करने के पश्चात् सरकार ने 21 मई, 2009 को "आशय पत्र" जारी किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्तरमानों का बनाए रखना) विनियम, 2003 के उपबन्धों के दृष्टिगत, प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय राज्य द्वारा अलग से बनाए गए अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुरूप होगा। प्राइवेट विश्वविद्यालय न केवल ऐकिक विश्वविद्यालय होना चाहिए, बल्कि उसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षण और विस्तारी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी हों । अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की अपेक्षाओं और मानदण्डों को पूरा करने के आशय से विधान लाने का विनिश्चय किया गया है, जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए अरनी विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन का उपबन्ध करेगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं।

ईश्वर दास धीमान,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला
तारीख....., 2009

————————

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राज्य में अरनी विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर में करने का उपबंध करता है। इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष पर कोई वित्तीय व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 26 और 43 राज्य सरकार को, क्रमशः विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम बनाने के लिए और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 27 और 28 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय के क्रमशः पश्चात्वर्ती परिनियम और अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2009

THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) BILL, 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for establishment, incorporation and regulation of Arni University in the State for higher education and to regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009.

(2) It shall come in to force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board of Management" means the Board of Management constituted under section 19;

(b) "campus" means the area of University within which it is established;

(c) "distance education" means education imparted by combination of any two or more means of communication, *viz.* broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;

(d) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(e) "fee" means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;

(f) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Governing Body" means the Governing Body constituted under section 18;

(h) "higher education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

(i) "hostel" means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centres, established or recognized to be as such by the University;

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "off campus centre" means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University's complement of facilities, faculty and staff;

(l) "Official Gazette" means the Rajpatra of Himachal Pradesh;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "regulating body" means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research etc. and includes the Government;

(o) "section" means a section of this Act;

(p) "sponsoring body" means K.D Educational Trust, registered under the Indian Trust Act, 1882.

(q) "State" means State of Himachal Pradesh;

(r) "statutes", "ordinances" and "regulations" mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;

(s) "student" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;

(t) "study centre" means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;

(u) "teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University; and

(v) "University" means Arni University at Kathgarh (Indora) District Kangra, Himachal Pradesh.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,—

(a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;

(b) to establish facilities for education and training;

(c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;

(d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

(e) to establish campus in the State;

(f) to establish examination centres;

(g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method; while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by regulating bodies; and

(h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing Body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of Arni University, at Kathgarh (Indora) District Kangra Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall situate and have its headquarters at Kathgarh (Indora), District Kangra, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—The University shall have the following powers and functions, namely:—

(i) to make provisions and adopt all measures (including adoption and updating of the curricula) in respect of study, teaching and research, relating to the courses through traditional as well as new innovative modes including on-line education mode;

(ii) to institute and confer degrees, diplomas, certificates, awards, grades, credits and academic distinctions;

(iii) to conduct and hold examinations;

(iv) to provide for the degrees, diplomas, certificates, equivalent or corresponding to the degrees, diplomas, certificates of other recognized Universities, Boards or Councils;

(v) to take all necessary measures for setting up campuses;

(vi) to set up central library, departmental libraries, museums and allied matters;

(vii) to institute and confer honorary degrees;

(viii) to institute and award fellowships, scholarships, studentships as may be specified;

(ix) to take special measures for spreading educational facilities among the educationally backward strata of the Society;

(x) to encourage and promote sports and martial arts;

(xi) to create technical, administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;

(xii) to undertake research projects on mutually acceptable terms and conditions in respect of agriculture, industry and business;

(xiii) to provide consultancy services;

(xiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;

(xv) to encourage and promote co-curricular activities for personality development of the teachers, students and employees of the University;

(xvi) to provide for dual degrees, diplomas or certificates *vis-a-vis* other Universities on reciprocal basis within and outside the country subject to norms and instructions of the State Government, Government of India and University Grants Commission;

(xvii) to make such provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xviii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus and study centres, subject to instructions issued by the State, Central Governmentand University Grants Commission from time to time;

(xix) to receive donations, gifts and grants and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within and outside Himachal Pradesh for the purpose and objects of the University and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

(xx) to prescribe the fee structure for various courses from time to time as per provisions of this Act;

(xxi) to demand and receive payments of such fees and other charges as may be specified from time to time;

(xxii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions;

(xxiii) to determine salaries, remunerations, honoraria to teachers and employees of the University in accordance with the norms, specified by the University Grants Commission and the other regulatory bodies;

(xxiv) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;

(xxv) to establish and maintain Halls and Hostels;

(xxvi) to recognize, supervise and control Halls and Hostels not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students and to withdraw any such recognition;

(xxvii) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

(xxviii) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University or of the colleges;

(xxix) to co-operate with any other University in and outside the country, having purposes and objects similar to those of the University, on such terms and conditions as may be agreed upon; and

(xxx) to do all such things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of three crores rupees which shall be pledged to the Government.

(2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilised for the development of infrastructure of the University but shall not be utilised to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

(a) fees and other charges received by the University;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;

(d) bequests, donations, endowments and anyother grants; and

(e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

(a) for the payment of salaries and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

(b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;

(c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;

(d) for up keeping of the assets of the University;

(e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

(f) for the payment of traveling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management, the Academic Council, etc.;

(g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;

(h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9;

(i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(j) for the purpose of movable and immovable assets;

(k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and

(l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval :

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:—

(i) the Chancellor;

(ii) the Vice-Chancellor;

(iii) the Registrar;

(iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and

(v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) the Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

(a) to call for any information or record;

(b) to appoint the Vice-Chancellor;

(c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13; and

(d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years a person shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins; however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity, thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If, in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of its decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If, at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:—

(i) the Governing Body;

(ii) the Board of Management;

(iii) the Academic Council; and

(iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) five persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

(d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;

(e) two persons, nominated by the Government; and

(f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) the Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) the Governing Body shall have the following powers, namely:—

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the University;

(d) to lay down the policies to be followed by the University;

(e) to recommend to the Sponsoring Body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible, in spite of all efforts; and

(f) such other powers as may be prescribed by the statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor;
(b) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;

(c) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body; and

(d) three persons from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice-Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Ohter authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualification.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,—

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceeding of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;

(c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

(d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;

(e) the terms and conditions of service of employees of the University;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;

(g) the conferment of honorary degrees;

(h) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(i) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;

(j) provisions regarding fees to be charged from the students; and

(k) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette, and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) creation of new authorities of the University;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the University;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department;

(e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition of posts;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different syllabi; and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until

such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal, and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management, affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.— (1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;

(g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(j) the manner of co-operation and collaboration with other universities and institutions of higher education; and

(k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided for by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval and the Government shall convey the approval within one month from the receipt of the proposal:

Provided that if the approval of the Government is not conveyed within one month, it shall be deemed to have been approved by the Government:

Provided further that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,—

(a) sufficient for generating—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and

(ii) the savings required for the further development of the University; and

(b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule :

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Government giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.—Schedule of Examination means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason, whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Government. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

37. University to follow rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies.— Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

(5) The advice of the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Government.

40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government may, after consultation with the Vice-Chancellor, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendation made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body :

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before fifteen years of its establishment all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given under sub-section (1) of section 5 of the Himachal Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) Act, 2006 (12 of 2006) as so repealed, or a situation of financial mis-management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a *prima facie* case of contravention of all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder, or contravention of directions issued by it under this Act, or it has ceased to carry out the undertaking given under subsection (1) of section 5 of the Himachal Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) Act, 2006 (12 of 2006), as so repealed or financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary;

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and

(d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub-section (3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it under sub-section (1) of section 5 of the Himachal Pradesh Private Universities (Establishment & Regulation) Act, 2006, as so repealed or a situation of financial mis-management and maladministration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body from such date.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and

(b) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which they are so laid or the successive sessions aforesaid, the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in the all round development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention to education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to open more educational institutions with modern and sophisticated facilities. With each passing day, the need for opening new Colleges, Universities, Professional Colleges/Institutions etc. is gaining momentum in the State.

Like other States in the country, Societies in the private sectors have been approaching the Government for establishing Universities. Many State Governments have allowed the setting up of private Universities. The State Government has been receiving many applications from such parties to establish private Universities in the State. The K.D Educational Trust, New Delhi which is a Trust registered under the Indianl Trust Act, 1882 had also submitted a proposal to establish a private University namely, "Arni University, Himachal Pradesh, Kangra" and after detailed examination the Government had issued "Letter of Intent" on 21st May, 2009.

In the light of the provisions of University Grant Commission (Establishment and Maintenance of Standards of Private Universities) Regulations, 2003, each private University must be established by a separate State Act and shall conform to the provisions of University Grants Commission Act, 1956. Not only that, a private University must be a unitary University having adequate facilities for teaching, research examination and extension activities. Thus, in order to fulfil the requirement of University Grant Commission Act and the norms, it has been decided to bring a legislation which may provide for establishment, incorporation and regulation of Arni University in the State for higher education.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN,
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The....., 2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to provide for the establishment of Arni University in the State solely in the private sector. The provisions of this Bill, if enacted, shall not involve any financial expenditure on the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 26 and 43 of the Bill seeks to empower the State Government to make first statutes of the University and to make rules for carrying out purposes of this Act respectively. Further, clauses 27 and 28 of the Bill seek to empower Board of Management of the University to make subsequent statutes and first ordinances of the University respectively. The proposed delegations of powers are essential and normal in character.

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 19 अगस्त, 2009

संख्या 5–17 / 2008–ई0एल0एन0––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 5–17 / 97–ई0एल0एन0, तारीख

29–5–2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चौकीदार, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चौकीदार, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 है।

(1) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध–''क'' का संशोधन.––**(1) हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चौकीदार, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध ''क' में :––

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.––2520–100–3220–110–3660– 120–4140/– रूपए (प्रारम्भिक आरम्भ 2620/–रूपए के साथ)।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.––3780/–रूपए प्रतिमास (वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर) स्तम्भ 15–क में दिए गए व्यौरों के अनुसार।''

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

''यथास्थिति, शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या सीधी भर्ती द्वारा संविदा के आधार पर, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगें और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।''

(ग) स्तम्भ संख्या–15 (क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:––

''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः––

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन निर्वाचन विभाग में चौकीदार को प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.––राज्य मुख्यालय के लिए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश तथा अपने–अपने जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (विभागाध्यक्ष) के माध्यम से रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदों के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएंगे और विहित अर्हताएं तथा इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेंगे।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त चौकीदार को 3780/–रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 100/–रुपए की रकम (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.––राज्य मुख्यालय की दशा में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश तथा अपने–अपने जिला निर्वाचन कार्यालयों की दशा में सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध चयन समिति / अभिकरण या निर्वाचन विभाग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध चयन समिति / अभिकरण या निर्वाचन विभाग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 3780 / –रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 100 / –रूपए की दर से (पद के वेतनमान के न्यूनतम / प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ / चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा विवर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।''

आदेश द्वारा,
अनिल खाची,
सचिव।

उपाबन्ध–''ख''

चौकीदार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश/जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश/जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त).....(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और **'प्रथम पक्षकार'** ने चौकीदार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:––

1. यह कि प्रथम पक्षकार चौकीदार के रूप में.....से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा.....तारीख को स्वयंमेव ही पर्यावसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम मुबलिग 3780/–रूपए (वेतनमान के आरम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर) प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक चौकीदार एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक चौकीदार को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावयसन (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक चौकीदार कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियमों इत्यादि के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:–

1 .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2 .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:–

1 .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2 .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[*Authoritative English text of this Department's Notification No.*5-17/2008 *ELN, dated* 19-8-2009 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, *the* 19*th August,* 2009

No. 5-17/2008-ELN.—In exercise of the power conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Chowkidar, Class-IV (Non-

Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, notified vide Notification No. 5-17/97- ELN, dated 29-5-2007, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called "the Himachal Pradesh Election Department, Chowkidars, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First amendment) Rules, 2009".

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—(1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Chowkidars, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 :—

(a) For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:—

"(i) Pay scales for regular incumbents.—Rs.2520-100-3220-110-3660-120-4140 (With initial start of Rs.2620/-).

(ii) Emoluments for contract employees.—Rs. 3780/- per month (equal to initial of the pay scale + dearness pay) as per details given in Column 15-A".

(b) For the existing provision against Column No.10, the following shall be substituted, namely:—

"100 % by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis, as the case may be, failing which by transfer. The contract employees will get emoluments as given in Column No.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column."

(c) For the existing provisions against Column No.15(A), the following shall be substituted, namely:—

"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Chowkidar in Department of Elections, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for on year to year basis.

(b) Post falls out of the purview of HPPSC/HPSSSB.—The Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh for State Headquarter and the concerned District Election Officer(DC) for their respective District Election Office, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis through Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (Head of the Department), will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Chowkidar appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.3780/-per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). An amount of Rs. 100/- (equal to annual encrease in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh in case of State Headquarter and the concerned District Election Officer (DC) in case of their respective District Election Office will be the Appointing and Disciplinary Authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned selection committee/agency or by the Election Department.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned selection committee/agency or by the Election Department from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 3780/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 100/- (equal to annual encrease in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled to Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfers of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column."

By order,
ANIL KHACHI,
Secretary.

Annexure-"B"

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE CHOWKIDAR AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH ADDITIONAL CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH/DISTRICT ELECTION OFFICERS (DCs) HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____between Shri/Smt./Km._____S/o/W/o/D/o Shri._____R/o_____ _____Contract appointee (herein-after called the FIRST PARTY).

AND The Governor, Himachal Pradesh through Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh/District Election Officer (DC),…… (here-in-after referred to as the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Chowkidar on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Chowkidar for a period of one years commencing on _____day of_____and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 3780/- (equal to initial of the pay scale+dearness pay) per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractctual Chowkidar will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the Contractctual Chowkidar. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Chowkidar will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of an incumbent appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official, at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. will not be applicable for contract appointees.

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1._____
_____
_____

(Name and full address)

2._____
_____
_____

(Name and full address)

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1._____
_____
_____

(Name and full address)

2._____
_____
_____

(Name and full address)

(Signature of the SECOND PARTY)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
LAHOUL & SPITI AT KEYLONG

NOTIFICATION

19*th August*, 2009

No. FDS-LSP(F)(9)6/95-V.— In super-session of all previous Notifications and in exercise of powers conferred upon me under clause 9(e) of the L.P.G. (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 and clause 3(1) (e) of H.P. Hoarding & Profiteering Prevention Order, 1977, I, C. Paulrasu, District Magistrate, Lahoul & Spiti at Keylong do hereby fix the sale rate of domestic L.P.G. (14.2 Kg. & 5 Kg.) Cylinder in Lahoul Valley, as under:—

H.P.S.C.S.C.Ltd. Chhurpak (I.O.C.)						
Sr No.	Name of Place (Focal Point on road head)	Weight	R.S.P. including Cooliage Fixed by Oil Company	Additional Labour Charges per Cylinder.		Per Cylinder Sale Rate
				Labour Charges Loading/ unloading	Transpor-tation	
1.	Chhurpak (Godown rate after rebate)	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329.20 123.60	------ ------	---------- ----------	321-20 119-10
2.	Tandi,Goshal, Mooling station,	14.2 Kg 5.00 Kg	329.20 123.60	4-00 2-00	8-80 4-40	342-00 130-00
3.	Billig, Keylong,	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329.20 123.60	4-00 2.00	15-80 08-40	349-00 134-00
4.	Gondhla, Yurnath, Malang, Stingri, Thlong, Gawzang.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329.20 123.60	4-00 2-00	17-80 09-40	351-00 135-00
5.	Sumnam, Marbal, Trilling, Kardang, Lote, Rurding, Kirting. Tailangway, Shooling, Ropsang, Jamla, Dawasa, Gompathang.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329.20 123.60	4-00 2-00	19-80 10-40	353-00 136-00
6.	Lapchang, Kardang-Gompa, Raling, Kelad, Murtija.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329.20 123.60	4-00 2-00	22-80 12-40	356-00 138-00
7.	Tinno, Kolong, Khangsar, Gemur, Furda, Jhalma, Ghorma, Shansha, Junda, Jispa, Sarang, Pukkar, Nukkar, Namchi, Nalda, Meh, Sissu.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329.20 123.60	4-00 2-00	27-80 13-40	361-00 139-00
8.	Kamring, Thirot, Koksar, Chokhang, Khangsar,Leh Baring Othang.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329.20 123.60	4-00 2-00	33-80 17-40	367-00 143-00

9.	Tailing, Yangthang, Darcha Gaon, Darcha Pul.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329.20 123.60	4-00 2-00	35-80 18-40	369-00 144-00
10.	Nayanghar, Yoche, Raric, Rangyo Chhika.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329.20 123.60	4-00 2-00	41-80 21-40	375-00 147-00
H.P.S.C.S.C. Ltd. Udaipur (B.P.C.)						
1.	Godown rate after rebate.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329-55 123-70	------ ------	---------- ----------	321.55 119.20
2.	Udaipur.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329-55 123-70	4-00 2-00	5-45 3-30	339-00 129-00
3.	Kukamseri, Shenoor, Madgran, Shokali.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329-55 123-70	4-00 2-00	7-45 4-30	341-00 130-00
4.	Chuling, Aradet, Tamblu, Chimret, Dhari, Sidhwari, Kissori. Kurcherd, Karpat.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329-55 123-70	4-00 2-00	12-45 06-30	346-00 132-00
5.	Trilokinath, Hinsha, Pimal, Thirot, Churpoot.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329-55 123-70	4-00 2-00	16-45 08-30	350-00 134-00
6.	Shokali, Bardang, Mooring, Moring, Changrut,	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329-55 123-70	4-00 2-00	21-45 11-30	355-00 137-00
7.	Tingret, Lobar.	14.2 Kg. 5-00 Kg.	329-55 123-70	4-00 2-00	22-45 11-30	356-00 137-00
8.	Tindi, Udgos, Jhalma, Challing, Lohni, Khangsar.	14.2 Kg. 5.00 Kg.	329-55 123-70	4-00 2-00	26-45 13-30	360-00 139-00

TERMS AND CONDITIONS :-

1. The L.P.G. distributor will ensure to give rebate of Rs. 8 /- and Rs. 4.50 per cylinder for 14.2 kg and 5 kg respectively to the consumers if the consumer take delivery from Godown.

2. The L.P.G. distributor or their delivery men shall not charge the price of L.P.G. refill more than the price fixed by the District Magistrate.

3. The L.P.G. distributor shall maintain proper record of receipt and distribution of L.P.G. refill and will issue cash memo to every consumer showing consumer number, cost of refill and cooliage separately in cash memo and will keep duplicate of the same in record for inspection purpose and also obtain signature of consumer on the cash memo in token to receipt of refill.

4. The L.P.G. distributor shall display daily stock position of refills, empty and defective cylinders and pressure regulators and also display price of L.P.G. refill and backlog at

conspicuous place in showroom / godown as required under the provisions of the Himachal Pradesh Commodities Price Marking and Display Order,1977 and under the provision of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply & Distribution) Order, 2000.

5. The L.P.G. distributor shall book refill of the consumers on telephone as well as in person.

6. The L.P.G. distributor shall ensure the supply of L.P.G. refills to the consumers at standard weight, sealed and equipped safety cap.

7. The L.P.G. distributor shall ensure immediate redressal of the complaints lodged by the consumers for leakages and other reasons with out loss of time and render services of a trained mechanic free of cost keeping in view the security measures .

8. The L.P.G. distributor shall issue termination voucher to the consumer immediately and release the security amount when he is shifted from one place to another.

9. The L.P.G. distributor shall furnish monthly report to the District Controller F.C.S. & C.A. Keylong on the Performa give below by the 2d of each month positively :—

Item	Name	Opening Balance	Receipt during the month	Issue/ Sale	Defective		Closing Balance	No of S.B.C.	D.B.C
1		2	3	4	5	6	7	8	

1. Cylinder
2. Filled
3. Empty
4. Pressure Regulator

10. The L.P. G. distributor shall distribute L.P.G. refill during the shortage as per the direction of the District Magistrate, District Controller/ F.S.O and S .D.M / Inspector F.C.S. & C.A. in their area of jurisdiction.

11. No L.P.G distributor shall store L.P.G. refills on the road side or at any other unauthorized place and shall store refill in godown / showroom strictly adhering to the provision of the Indian Explosive Act, 1884.

12. The distributor shall keep at least 30 refill in reserve at all time to meet the demand of essential services which shall be released as per the direction of District Magistrate, District Controller / F.S.O and S.D.M. and area Inspector F.C.S. & C.A in their respective jurisdiction.

13. The L.P.G. distributor shall not deliver domestic L.P.G. to the Hoteliers / Dhabawalas / Halwaies or other commercial establishments.

14. Violation of the terms and condition shall be punishable under Section 3/7 of the Essential Commodities Act, 1955.

15. The L.P.G. distributor shall stamp the ration card of the consumer for heaving D.B.C. o S.B.C.

The notification will come into force with immediate effect.

By Order.
Sd/-
District Magistrate.

ब अदालत श्री अशोक चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री धर्म दास पुत्र श्री धोधू, निवासी जोन, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री धर्म दास पुत्र श्री धोधू, निवासी जोन, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत किया है कि उसका अपना नाम स्कूल प्रमाण–पत्र में व नकल परिवार रजिस्टर में धर्म दास है जो कि गलत है। अतः प्रार्थी का नाम धर्म दास के बजाए धर्म चन्द दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी का नाम दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेशी दिनांक 7–9–2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजरी में एक तरफा कार्यवाही अमल में जाई जाकर नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7–8–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। अशोक चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री अशोक चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री देवी सिंह पुत्र श्री ठाकरू, निवासी धमरेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री देवी सिंह पुत्र श्री ठाकरू, निवासी धमरेहड़, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत किया है कि उसका अपना नाम राजस्व विभाग में नाग दर्ज है किन्हीं कारणवश वह उसका नाम राजस्व विभाग में उसका नाम देवी सिंह के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका। अतः उसे दर्ज करने के आदेश देने की अनुकम्पा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी का नाम दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन पेशी दिनांक 7–9–2009 को प्रातः 10.00

बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजरी में एक तरफा कार्यवाही अमल में जाई जाकर तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7–8–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। अशोक चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री अशोक चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

Nyma s/o Sh. Sanga, r/o H. No. 91, Tibitan Sett. Dege. Div. P.O. Chauntra, Teh. jogindernagar, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री Nyma s/o Sh. Sanga, निवासी चौंतड़ा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 14–4–1992 को हुआ है। किन्हीं कारणवश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत चौन्तड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका। अतः उसे दर्ज करने के आदेश देने की अनुकम्पा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि 14–4–1992 दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन पेशी दिनांक 7–9–2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैर हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में जाई जाकर तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। अशोक चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री अशोक चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री हरि सिंह पुत्र श्री तवारू, निवासी मनोह, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री हरि सिंह पुत्र श्री तवारू, निवासी मनोह, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी प्रस्तुत किया है कि उसका अपना नाम राजस्व विभाग में हतकु दर्ज है और स्कूल प्रमाण–पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम हरी सिंह दर्ज है जो कि सही है। अतः जनाब से निवेदन है कि मेरा नाम राजस्व विभाग में भी हरी सिंह दर्ज करवाने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारा में किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7–9–2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजरी में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7–8–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। अशोक चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री अमृत लाल पुत्र श्री कहनू, गांव डोलन, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.––नाम दरुस्ती।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना–पत्र इस आशय से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का सही नाम अमृत लाल है परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से अमर सिंह दर्ज है। प्रार्थी इसे दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय आकर मिति 20–10–2009 को पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। गैरहाजरी की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में जाई जाएगी।

आज दिनांक 7–8–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री इन्दर सिंह, श्री चेत राम, श्री सोहन सिंह पुत्रगण श्री धन्ना, रुकमणी पत्नी स्व0 श्री धन्ना, सभी निवासीगण मलहौड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..फरीकअब्बल।

बनाम

सर्वश्री/श्रीमती नागेश्वर दत, रवीन्द्र कुमार, लेख राज पुत्रगण सन्त राम, अच्छरी पत्नी स्व0 श्री सन्त राम, निर्मला पत्नी स्व0 श्री सन्त राम, बुद्धि सिंह पुत्र ज्वाला, भजन सिंह, सुन्दर सिंह पुत्र लच्छमण दास, विमला देवी, मलका देवी, कलां देवी, रूमा देवी पुत्रियां लच्छमण दास, चमन लाल पुत्र गिरधारी लाल, बीरी सिंह, नेक राम पुत्र गिरधारी लाल, गुडी देवी, थैमपी देवी, जोगीदरी देवी पुत्रियां गिरधारी लाल, टोडर मल, बेलिया, बालम राम पुत्रगण केशव, शेर सिंह, राम सिंह, पंकज, कृष्ण पुत्रगण मोलक, सन्ती पत्नी स्व0 श्री मोलक, रूबाली पुत्री हिरा, दुर्गी पुत्री जवाला, सभी निवासीगण तनहेड़, पिंगली, पवन कुमार, बीकी राम पुत्र हलकी, सभी निवासीगण मलौहड, उप–तहसील धर्मपुर।

प्रार्थना–पत्र तकसीम अधीन धारा 123, हि0 प्र0 भू0–राजस्व अधिनियम।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में भूमि मुन्दर्जा खेवट खतौनी नम्बर 4/4, कित्ता 189, रकबा तादादी 18–10–24 है0 बीघा स्थित मलौड की तकसीम हेतु प्रार्थना–पत्र दिया है। फरीकदोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए परन्तु इस पर तामील समन साधारण तरीके से नहीं हो रही है।

अतः फरीकदोयम उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त तकसीम बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 5–10–2009 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में जाई जाएगी।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से आज दिनांक 4–8–2009 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री इन्दर सिंह, श्री चेत राम, श्री सोहन सिंह पुत्रगण श्री धन्ना, रुकमणी पत्नी स्व0 श्री धन्ना, सभी निवासीगण मलहौड, ईलाका कमलाह, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..फरीकअब्बल।

बनाम

सर्वश्री/श्रीमती टोडरमल, बालम राम, बेलिया, पुत्र केशव, नागेश्वर दत, रवीन्द्र कुमार, लेख राज पुत्रगण सन्त राम, अच्छरी देवी, निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री सन्त राम, भजन सिंह, सुन्दर सिंह पुत्रगण लच्छमण दास, विमला, मलका, कलां, रूमा पुत्रियां लच्छमण दास, चमन लाल, बीरी सिंह, नेक राम पुत्र गिरधारी लाल, जोगीदन्रा पुत्री गिरधारी लाल, ज्ञान चन्द पुत्र व व्यासा देवी पत्नी स्व0 श्री ठाकर, शेर सिंह,

राम सिंह, पंकज कुमार, कृष्ण चन्द पुत्रगण मोलक, सन्ती पत्नी स्व0 श्री मोलक, बुद्धि सिंह पुत्र ज्वाला, रूबाली पुत्री हिरा, ब्रह्मी, दुर्गी पुत्री जवाला, लक्ष्मी पत्नी स्व0 श्री गिरधारी, जानकी पुत्री कृष्ण चन्द, रेबत राम, जय सिंह, भीम सिंह, पुत्रगण कृष्ण चन्द, निवासीगण बाल्हडा, पवन कुमार, बीकी राम पुत्र हल्की, गांव तडुनू, पिंगली पुत्री हल्की, मौनी राम, भीम सिंह पुत्र जोध, गांव मलुआ, सावित्री पत्नी इन्द्र सिंह, धर्मी पत्नी हरीया, निवासी मलौहड, उप–तहसील धर्मपुर

.. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र तकसीम अधीन धारा 123, हि0 प्र0 भू0–राजस्व अधिनियम।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में भूमि मुन्दर्जा खेवट खतौनी नम्बर 17 / 17, कित्ता 16, रकबा तादादी 0–54–77 है0 बीघा स्थित मलुआ की तकसीम हेतु प्रार्थना–पत्र दिया है। फरीकदोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए परन्तु इस पर तामील समन साधारण तरीके से नहीं हो रही है।

अतः फरीकदोयम उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त तकसीम बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 5–10–2009 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में जाई जाएगी।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से आज दिनांक 4–8–2009 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20, CPC

In the Court of Shri A. K. Sharma, Addl. District Judge, Kinnaur at Rampur Bushehr, District Shimla, Himachal Pradesh

H. M. A. No. 1AR/3 of 07/08. Fixed for 20-10-2009

Smt. Anita w/o Shri Farinder Veer Walia, r/o H. No. 462, Ward No. 12, Village Kurali, Tehsil Kharar, District Ropar (Pb.), presently residing at Village Balari, P.O. Shamathla, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) . . *Plaintiff.*

Vs.

Shri Farinder Veer Walia s/o Shri Bhaskar Singh, resident of H. No. 462, Ward No. 12, Vill. Kurali, Tehsil Kharar, District Ropar (Punjab) . . *Defendant.*

Petition under section 13 (i) H. M. Act, 1955

Notice to :

Shri Farinder Veer Walia s/o Shri Bhaskar Singh, resident of H. No. 462, Ward No. 12, Vill. Kurali, Tehsil Kharar, District Ropar (Punjab).

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of the court that above named defendant is evading service of summons and cannot be served in the ordinary way. Hence this proclamation is hereby issued against him to appear in this court of Addl. District Judge Rampur on 20-10-2009 at 10 A.M. to defend the case personally or through an authorised agent or pleader failing which *ex parte* proceedings will taken against him.

Given under my hand and the seal of the Court this 24th day of July, 2009.

Seal.

A. K. SHARMA,
Addl. District Judge, Kinnaur at Rampur Bushehr,
District Shimla, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Man Singh Verma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Kishan Chand s/o Shri Sewak Ram, r/o Village Taprala, P.O. Shoghi, Tehsil & District Shimla (H. P.) . . *Applicant.*

Versus

General public

Whereas Shri Kishan Chand s/o Shri Sewak Ram, r/o Village Taprala, P.O. Shoghi, Tehsil & District Shimla has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 15 of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the death of Shri Balak Ram s/o Shri Basti Ram, r/o Village Taprala, P.O. Shoghi, Tehsil & District Shimla who died on 8-12-1998.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding correction of name, the same may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Given today 12th August, 2009 under my signature and seal of the court.

Seal.

MAN SINGH VERMA,
Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla, Himachal Pradesh.

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT
STATE OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 20*th August,* 2009

No. 3-6/80-IV-24289-91.—Sanction is hereby accorded to the grant of 6 days earned leave with effect from 17th to 22nd August, 2009 in favour of Smt. Veena Chauhan, Superintendent

Grade-I of this department with permission to avail prefix/suffix Gazetted Holidays and Sundays falling on 14th to 16th and 23rd August, 2009.

Certified that Smt. Veena Chauhan, Superintendent would have continued to officiate, but for her proceeding on 6 days earned leave and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified also that the said Smt.Veena Chuahan, Superintendent is likely on the expiry of leave to return for duty to the Station from where she proceeds on leave.

By Order,
Sd/-
Advocate General.

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th August, 2009

No. IPH(A)2(B)8-4/2009.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee and in consultation with the H.P. Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Sh. Kuldeep Singh Mandohtra, Junior Hydrogeologist (Class-II, Gazetted) to the post of Senior Hydrogeologist (Class-I, Gazetted) in I & PH Department on regular basis in the pay scale of Rs. 10025-15100 with immediate effect.

2. For fixation of pay against the post of Senior Hydrogeologist, the above officer shall have to exercise his option under F.R. 22(1)a(i) within a period of one month from the date of issue of this notification.

3. The above officer shall remain on probation for period of two years.

4. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Sh. Kuldeep Singh Mandohtra, Senior Hydrogeologist, as such, at Ground Water Organization, IPH Department, Una against vacancy with immediate effect in public interest.

6. The officer will submit his charge reports of relinquishment and assumption to this department, immediately.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित